पत्र सूचना शाखा
(मुख्यमंत्री सूचना परिसर)
सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग, उ0प्र0

जनपद सहारनपुर व मुजफ्फरनगर में भारी बारिश और तूफान से हुए नुकसान के दृष्टिगत मुख्यमंत्री के निर्देश

सहारनपुर व मुजफ्फरनगर के जिलाधिकारी प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत प्रभावित किसानों के फसल नुकसान सम्बन्धी दावों का 48 घण्टे में निस्तारण कराते हुए बीमा राशि का भुगतान कराएं

इस प्राकृतिक आपदा से हुए जान–माल के नुकसान का आकलन करते हुए प्रभावित लोगों को तत्काल राहत राशि का वितरण किया जाए

सहारनपुर के मण्डलायुक्त एवं प्रदेश के राहत आयुक्त राहत कार्यों का प्रभावी अनुश्रवण करें

लखनऊ : 11 अक्टूबर, 2018

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने जनपद सहारनपुर व मुजफ्फरनगर में भारी बारिश और तूफान से फसलों को हुए नुकसान के दृष्टिगत सम्बन्धित जिलाधिकारियों को निर्देशित किया है कि वे प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत प्रभावित किसानों के फसल नुकसान सम्बन्धी दावों का 48 घण्टे में निस्तारण करते हुए बीमा राशि का भुगतान सुनिश्चित कराएं।

मुख्यमंत्री जी ने अधिकारियों को यह निर्देश भी दिए हैं कि इस प्राकृतिक आपदा से हुए जान–माल के नुकसान का आकलन करते हुए प्रभावित लोगों को तत्काल राहत राशि का वितरण दैवीय आपदा मद से किया जाए। उन्होंने सहारनपुर के मण्डलायुक्त एवं प्रदेश के राहत आयुक्त को राहत कार्यों का प्रभावी अनुश्रवण सुनिश्चित कराने के भी निर्देश दिए हैं।

———————————